संख्या– 1289/अड़तीस-5-2013-22जी/2013

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊ: दिनाँक 28 मई, 2013

विषय– पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 मे ग्रामीण क्षेत्र मे प्रति विकास खण्ड 50–50 इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प की रिबोरिंग के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों मे ग्रीष्म ऋतु मे पेयजल स्रोतो के सूखने / जल स्तर नीचे गिर जाने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की आशंका के दृष्टिगत प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए प्रति विकास खण्ड 50 की दर से हैण्डपम्पो के रिबोर कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उपर्युक्तानुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र मे हैण्डपम्पो की रिबोरिंग राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा–निर्देशो के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/ जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।

3– इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य जनपदवार उत्तर प्रदेश जल निगम एवं यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 के मध्य 90:10 के अनुपात में शासनादेश संख्या–7481/38–5–2001–653/95, दिनांक 16 अक्टूबर, 2001 के अनुसार कराया जायेगा। तदनुसार उसी सीमा तक बजट एवं स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या: 1289 (1)/अड़तीस–5–2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र ई–मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।
10. सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।